न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 83 / 2020

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र किशना
2. बद्रलाल पुत्र किशना
3. अमरी पत्नी शुभकरण
4. धूकल पुत्र शुभकरण
5. नाथूराम पुत्र सांवरलाल
6. शैतानु पत्रु सांवरलाल
7. धमेन्द्र पुत्र सांवरलाल
8. सुखपाल पुत्र सांवरलाल
9. प्रेम पत्नी सांवरलाल जाति जाट निवासी मावशिया

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. निर्मला देवी पत्नी लादूराम
2. प्रेम देवी पत्नी परमेश्वर जाति जाट निवासी मावशिया
3. उपं पंजीयक नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :—जरिये अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर

वाद पत्र बावत अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

:— निर्णय :— दिनांक :— 5/7/22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मावशिया स्थित कृषि भूमि का वर्किंग जामबन्दी एव वर्तमान जमाबंदी अनुसार विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्किंग जमाबंदी खसरा नम्बर नवीन	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
986	1—13—10	1515 मिन	0.20
		1517मिन	0.07
987	3—6—0	1517मिन	0.54

उपरोक्त आराजियात वर्किंग जमाबन्दी सवत 2041 से 44 में पुराने खसरा नम्बर 986 रकबा 1—13—10 व 987 रकबा 3—6—0 के खातेदार किशना व गंगाराम का बराबर —बराबर आधा हिस्सा वर्किंग जमाबन्दी मे दर्ज है तथा खातेदार किशना [illegible] वादीगण संख्या 1 से 4 है। गंगाराम की मृत्यु हो गयी जिसके वारिसान वादीगण स[illegible] 5 [illegible] है। पुराने खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:10 IST
Reason: SelfAttested

पश्चात गंगाराम की सांवरलाल ही एकमात्र संतान थी। जिसके द्वारा विरासत से प्राप्त सम्पूर्ण भूमि को दिनांक 13.2.2004 को निर्मला पत्नी लादूराम व प्रेम देवी पत्नी परमेश्वर चौधरी को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया था। विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण दिनांक 24.12.2010 अनुसार खसरा नम्बर 986 से बने हाल खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.60 व 1517 रकबा 0.61 सम्पूर्ण रकबे का नामान्तरण स्वीकृत किया गया। जबकि विक्रय पत्र अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 986 रकबा 01–13–10 के आधे हिस्से का ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाना था। मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 986 मिन रकबा 0.20, 972 मिन रकबा 0.40 हाल खसरा नम्बर 1515 कुल रकबा 0. 60 से बनें है। तथा खसरा नम्बर 986 मिन रकबा 0.07, 987 रकबा 0.54 हाल खसरा नम्बर 1517 रकबा 0.61 से बने है। प्रकरण में वादी के द्वारा अन्य कोई अनुतोष नहीं चाहा है। प्रतिवादी के द्वारा भी प्रकरण में खण्डन के कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये है। अतः वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व करने में वादीगण सफल सिद्व हुये है। तनकी वहक वादीगण सिद्व की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041–44 में खसरा नम्बर 986 रकबा 1–13–10 किशना व गंगाराम पिसरान बालू कौम जाट के नाम अंकित थी। वर्किंग जमाबन्दी में दोनों खातेदारों का आधा–आधा हिस्सा था। सांवरलाल द्वारा विरासत से प्राप्त सम्पूर्ण भूमि को दिनांक 13.2.2004 को निर्मला पत्नी लादूराम व प्रेम देवी पत्नी परमेश्वर चौधरी को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया था। प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 986 रकबा 1–13–10 का 1/2 हिस्सा ही क्रय किया है। शेष आराजी प्रतिवादीगण की क्रय शुदा सिद्व नहीं होती है। अतः तनकी संख्या 03 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम मावशिया के वर्किंग खसरा नम्बर 986 रकबा 1–13–10 व खसरा नम्बर 987 रकबा 3–6–00 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1515 मिन रकबा 0.20, खसरा नम्बर 1517 मिन रकबा 0.07 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्से का व वादी संख्या 1 से 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.40, खसरा नम्बर 1517 रकबा 0.54 पर वादीगण संख्या 1 से 9 को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/7/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:10 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकदमे इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

लक्ष्मण बनाम निर्मला देवी

दावा बाबत – 88, 188, रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –83/2020
पेश करने की दिनांक – 4.9.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई गोरधन गुर्जर मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम मावशिया के वर्किंग खसरा नम्बर 986 रकबा 1–13–10 व खसरा नम्बर 987 रकबा 3–6–00 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1515 मिन रकबा 0.20, खसरा नम्बर 1517 मिन रकबा 0.07 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्से का व वादी संख्या 1 से 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.40, खसरा नम्बर 1517 रकबा 0.54 पर वादीगण संख्या 1 से 9 को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 8 माह 07 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:10 IST
Reason: SelfAttested